न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–33/2016

CIS NO. TS-565/2018

राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चुन्नी साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.10.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.09.2022 संबंधित आदेश 13 नियम 01, 02 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा धारा 74 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 15.09.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु निर्धारित है तथा वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दिनांक 20.11.2018 को अपने कागजात दाखिल किया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है परंतु कुछ अन्य आवश्यक कागजात जो प्रस्तुत वाद में सन्निहित वादग्रस्त भूमि से संबंधित है। समय पर उपलब्ध नही होने के कारण दाखिल नही हो सके है, जिनका विवरण आवेदन में दिया गया है। जो काफी खोजबीन करने के पश्चात् पुराने बक्से से प्राप्त हुये है, जिन्हें आज वादीगण दाखिल कर रहे है। आवेदन में वर्णित सभी कागजात पूर्व में वादीगण के पास उपलब्ध नही थे। इसलिए समय से दाखिल नही हो पाये है। इन्हें दाखिल करने में वादीगण द्वारा जानबुझकर विलंब नही किया है। सभी कागजात वाद के उचित न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है। अगर वादीगण द्वारा दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर दाखिल दस्तावेज को अभिलेख पर रखने का आदेश नही दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। हालसर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि एवं निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 19.12.2012 की सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेज है। अतः इन्हे प्रदर्श करने का आदेश देने की भी कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 08.05.2023 को दाखिल किया गया जिसमें वादीगण का आवेदन पोषणीय नही बताया गया	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–33/2016</u>

<u>CIS NO. TS-565/2018</u>

राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चुन्नी साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 06.10.2023	तथा वादीगण द्वारा कागजातों को विलंब से दाखिल करने के संबंध में कोई समुचित कारण नही दिया गया है तथा वादीगण द्वारा कागजातों को अभिलेख पर रखने की प्रार्थना किया है तथा दूसरी ओर आवेदन के पैरा 04 में दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने हेतु भी अनुरोध किया है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज समय पर दाखिल नही किये गये है परंतु फिर भी न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेजों को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुये अभिलेख पर रखने का आदेश दिया जाता है तथा वादीगण के आवेदन दिनांक 15.09.2022 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 06.11.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	